"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2006—श्रावण 11, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2006 (श्रावण 11, 1928)

क्रमांक-9522/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006), जो दिनांक 2 अगस्त, 2006 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 18 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्रमांक 27 सन् 1968) को और पुन: संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 होगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्रमांक-27 सन् 1968) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा-2 की उपधारा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु किसी व्यक्ति का पूर्वजों के मूल धर्म या स्वयं के मूल धर्म में वापसी धर्मान्तरण नहीं होगा."

धारा-4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-4 में,—

(1) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" तथा शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "बीस हजार" स्थापित किया जाये.

(2) परंतुक में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" तथा शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किया जाये.

धारा 5 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"**5. पूर्वानुमति, उल्लंघन एवं दण्ड.**

(1) जो कोई भी किसी व्यक्ति को एक धार्मिक आस्था से किसी दूसरे में या तो स्वयं धर्मगुरु की हैसियत से जो आयोजन के लिए आवश्यक हों, स्वयं शामिल होकर अथवा ऐसे किसी भी समारोह में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाग लेकर धर्मान्तरित करना चाहता हो वह उक्त धर्मान्तरण चाहने की तारीख से कम से कम 30 दिवस पूर्व, जिस जिले में समारोह आयोजित होना है उसकी अधिकारिता के जिला दण्डाधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जैसी कि विहित किया जाय, अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन देगा.

(2) जिला दण्डाधिकारी, जांच के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को एक धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरण की अनुमति अथवा अनुमति से इंकार करने का आदेश दे सकेगा तथा ऐसी अनुमति उस आदेश की तारीख से दो माह के लिए वैध होगी.

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा.

(4) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुज्ञात ऐसा व्यक्ति उस जिला दण्डाधिकारी को समारोह की तारीख से एक माह के भीतर ऐसे धर्मान्तरण के तथ्य की सूचना ऐसे प्ररूप में देगा जैसी की विहित किया जाय.

(5) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन कर धर्मान्तरण कराता है, वह कारावास से जिसकी कालावधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, से भी दंडनीय होगा.

(6) जो कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड जो रुपये दस हजार तक का हो सकेगा, से भी दंडनीय होगा."

5. मूल अधिनियम की धारा-5 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ी जाए, अर्थात् :— नई धारा 5-क, 5-ख तथा 5-ग का जोड़ा जाना.

"5-क. अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दण्ड. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा उसे ऐसे अपराध के लिये उपबंधित दण्ड से दंडित किया जायेगा

5-ख. क्षेत्राधिकार का वर्जन. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा.

5-ग. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई अथवा किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी."

6. मूल अधिनियम की धारा-6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा-6 का संशोधन.

"6 अपराध संज्ञेय होंगे. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होंगे,

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन के विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ में एवं विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बल प्रयोग, प्रलोभन अथवा कपटपूर्ण साधन से कभी-कभी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन सामान्य है. ऐसे बल प्रयोग, प्रलोभन एवं कपटपूर्ण साधन से व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए वर्तमान छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (सन् 1968 का क्रमांक 27) में कड़े प्रावधान आवश्यक हैं. अत: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (सन् 1968 का क्रमांक 27) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 28-7-2006

राम विचार नेताम
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्रमांक 27 सन् 1968) की धारा 2, 4, 5 व 6 का सुसंगत उद्धरण

2. (ख) "धर्म-संपरिवर्तन" से अभिप्रेत है एक धर्म त्याग देना तथा कोई अन्य धर्म अंगीकृत कर लेना,

* *

धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड.

4. धारा 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु उस दशा में जबकि अपराध किसी अप्राप्त वय, किसी स्त्री या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के संबंध में किया गया हो तो दण्ड दो वर्ष तक का कारावास और दस हजार रुपये तक का जुर्माना होगा.

धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट को प्रज्ञापना दी जायेगी.

5. (1) जो कोई किसी व्यक्ति का एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के लिये आवश्यक संस्कार धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं करके या ऐसे संस्कार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भाग लेकर करेगा, वह उस संस्कार के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाय, उस जिले के, जिसमें वह संस्कार हुआ हो, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाय, ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के तथ्य की प्रज्ञापना भेजेगा.

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

अपराध संज्ञेय होंगे.

6. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा और उसका अन्वेषण पुलिस-निरीक्षक के पद से निम्न पद के आफिसर द्वारा नहीं किया जायेगा.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.